श्रीमान न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 103/2024
तारीख दायरः–09.12.2024
पीठासीन अधिकारीः–परसाराम, आर.ए.एस

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

–प्रार्थी

बनाम

श्री राजेन्द्र नागोरी पुत्र श्री समरथमल, मैसर्स राजेन्द्र कुमार नरेन्द्र कुमार नागोरी, सदर बाजार, छोटीसादडी

– अप्रार्थी

:–आदेश–:

दिनांक 23/01/2025

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प1 (2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड लाल मिर्च पाउडर (अग्रवाल 420) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा की नमूना जॉच रिपोर्ट [illegible] अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बावत लिखा गया [illegible] की [illegible] प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.16 16:56:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत [illegible] दिनांक 16.08.2024 को [illegible] एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मै0 राजेन्द्र कुमार नरेन्द्र कुमार नागोरी, सदर बाजार, छोटीसादडी पहुंचा वहां पर लाल मिर्ची पाउडर (अग्रवाल 420) 3 किलो पैक पैकेट रखे हुए थे। उस समय मौके पर विक्रेता की हैसियत से जो व्यक्ति उपस्थिति हुआ उसने अपना नाम राजेन्द्र नागोरी पुत्र

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ़

श्री समरथमल बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो विक्रेता के पास उपलब्ध था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पैक अवस्था में रखी लाल मिर्ची पाउडर (अग्रवाल 420) पर शक होने पर विक्रेता को प्रपत्र 5 अ भरकर दिया और बताया कि उक्त का पैक अवस्था में एफएसएसए के तहत सेम्पल लिया जा रहा है। जिसकी प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त 2 किलोग्राम के लाल मिर्ची पाउडर (अग्रवाल 420) के 4 पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 800/—रू विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विक्रेता ने समझकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा लाल मिर्च पाउडर (अग्रवाल 420) की पैक थैलियो पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबल पर डी.ओ. के कोड क्रमांक, दिनांक व स्थान दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग—अलग 2 भूरे कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. प्रतापगढ़ के कोड कमांक वाई—2256 नियमानुसार चारो नमूना पैकेट पर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा चारो नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने जाप्ते में लिया।

कार्यालय में पहुॅच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल किया गया था । फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को देकर रसीद प्राप्त की । 2 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करा कर रसीद प्राप्त की । शेष 2 सील बंद नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं. 6 की पुश्त पर है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.16 16:56:11 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

श्रीमान न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया लाल मिर्च पाउडर का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया। विक्रेता को फर्म से सम्बन्धित कागजात की छायाप्रति प्रस्तुत करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया। इस पर विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञापत्र एवं आधारकार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की।

अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थी उपस्थित एवं अपने जवाब में बताया कि उसके पास उसका बिल नहीं है। वह एक फूटकर व्यापारी है। जेसा माल उसके पास आता है वेसा ही वह विक्रय कर देता है।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या पीएच/लेब/बांसवाडा/एक्ट/2024/998 दिनांक 09.09.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा लाल मिर्च पाउडर (अग्रवाल 420) का नमूना जांच रिपोर्ट में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है , जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है ।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी द्वारा दिनांक 16.08.2024 को उपलब्ध कुल माल 3 किलो की कुल कीमत 1200 की दस गुना शास्ति 12000 रू अक्षरे बारह हजार रू अप्रार्थी अभियुक्त पर आरोपित की जाती है। अतः उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.16 16:56:11 IST
Reason: Self Attested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ़

निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0 अथवा नगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 23.01.2025 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

(परसाराम)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक / रीडर / 2025 / 474-76

दिनांक 23.01.2025

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. श्री राजेन्द्र नागोरी पुत्र श्री समरथमल, मैसर्स राजेन्द्र कुमार नरेन्द्र कुमार नागोरी, सदर बाजार, छोटीसादडी

(परसाराम)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2025.04.16 16:56:11 IST
Reason: SelfAttested